पत्रांक : 1804 /आयु0रा0क0उत्तरा0/रा0क0/विधि–जी0एस0टी0 अनु0/2017–18

कार्यालय :: आयुक्त राज्य कर,उत्तराखण्ड
देहरादून :: दिनांक :: 13 जुलाई, 2017

–:: परिपत्र ::–

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत दाखिल किये जाने वाले पंजीयन आवेदन पत्रों के सन्दर्भ में दाखिल किये गये दस्तावेजों या सूचना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु विभिन्न उचित अधिकारियों द्वारा अयुक्तियुक्त तथा अतार्किक आधार पर नोटिस जारी किये जा रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस सन्दर्भ में जी0एस0टी0 के प्रशिक्षण से सम्बन्धित विभिन्न कार्यशालाओं में यह स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया है कि जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले नोटिस युक्तियुक्त, तार्किक तथा स्पष्ट होने चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि वर्तमान कर प्रणाली में किसी स्पष्टीकरण अथवा सूचना की अपेक्षा हेतु जारी किये जाने वाले कारण बताओ नोटिस पर किसी प्रकरण विशेष में की गयी कार्यवाही की विधिमान्यता निर्भर होने के परिणामस्वरूप इसकी महत्वता एक सामान्य नोटिस से कहीं अधिक है।

उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये पंजीयन आवेदन पत्रों के सन्दर्भ में दाखिल किये गये दस्तावेजों या सूचना के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु जारी किये जाने वाले नोटिस के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:–

1. पंजीयन आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले कारण बताओ नोटिस आवेदन पत्र की उपयुक्त तथा विस्तृत जांच करने के उपरान्त उसी दशा में जारी किये जाएं जब उन तथ्यों को निर्धारित किया जा सकता हो, जिनके आधार पर स्पष्टीकरण अपेक्षित किया गया हो;
2. जारी किया गया कारण बताओ नोटिस अस्पष्ट तथा संदिग्ध न होकर विशिष्ट (To the point) तथा स्पष्ट होना चाहिए, जिसमें उन बिन्दुओं, जिनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है, का विस्तृत विवेचन होना चाहिए;
3. कारण बताओ नोटिस तार्किक तथा तथ्यात्मक होना चाहिए तथा नोटिस में इंगित तथ्य तथा तर्क विधिक प्राविधानों से सुसंगत होने चाहिए, जिनका नोटिस में उल्लेख निश्चयात्मक तथा क्रमागत रीति से किया जाना चाहिए;
4. जारी किए गए नोटिस के माध्यम से मांगी गयी कोई सूचना अथवा दस्तावेज नोटिस में उल्लिखित तथ्यों से असंगत या उससे परस्पर विरोधी (Contradictory) नहीं होनी चाहिए।

मुख्यालय के संज्ञान में आए संदर्भित तथ्य के आलोक में समस्त उचित अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त उल्लिखित दिशा–निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि मुख्यालय के संज्ञान में पुनः पंजीयन आवेदन पत्रों के सन्दर्भ में अयुक्तियुक्त तथा अतार्किक आधार पर नोटिस जारी किए जाने संबंधी तथ्य आते हैं, तो इस हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध यथा अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

o/c

पृ0प0सं0 – 1804 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर, उत्तराखण्ड।
2. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार किये जाने वाले अनुपालन का व्यक्तिगत पर्यवेक्षण करना सुनिश्चित करेंगे तथा उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे।
3. समस्त अनुभाग अधिकारी मुख्यालय।
4. विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।